

constitutionally bound to provide the demanded staff. The Commission has also taken the stand that all staff deployed in connection with the preparation/revision of electoral rolls and conduct of elections are subject to the disciplinary jurisdiction of the Commission.

(b) The legal and constitutional position in regard to the issues raised by the Election Commission was conveyed to it by the Government.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सरकारी नौकरियों में आरक्षण

* 327. श्री मूलचन्द मोणा :

श्री जगदीर सिंह "दर्द" :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितने प्रतिशत और किस-किस स्तर पर पूरा किया गया है ;

(ख) भरे न गये आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलायेगी, यदि हाँ, तो इसे कब तक अर दिया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) :

(क) 1-1-92 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	9.7	2.9
समूह ख	11.6	2.4
समूह ग	15.8	3.2
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	20.9	6.7

(ख) वर्ष 1991-92 में चलाए गए पिछले विशेष भर्ती अभियान के दौरान 31-3-91 की स्थिति के

अनुसार पता लगाई गई बकाया आरक्षित रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	672	627
समूह ख	558	539
समूह ग	5424	6437
समूह घ	2580	3204

1991-92 के अभियान के दौरान उपर्युक्त रिक्तियों में से 9271 नियुक्तियों की गयीं। अब वर्ष 1993-94 में एक भया विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है तथा रिक्तियों के उपर्युक्त आंकड़ों को अद्यतन किया जा रहा है तथा सितम्बर, 1993 के अन्त तक अन्तिम रूप से आंकड़े उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

(ग) 1-4-1993 को केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बीमा निगमों तथा बैंकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया गया है। इस अभियान को पूरा करने की निर्धारित तारीख 31-3-1994 है।

IAS, IPS Officers Serving in Assam

*328. SHRI BHADRESHWAR GOHAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of IAS and IPS officers serving in Assam from the Union Territory Cadre;

(b) what is the reason for sending them to serve in Assam;

(c) what is the number of them who have been regularised in Assam together with the reasons therefor; and

(d) whether by this act of Government, IAS and IPS officers of Assam and Meghalaya cadre will be deprived of their dues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) None, Sir.

(b) to (d) Do not arise.